प्रेस नोट
दिनांक 26.10.2025

छठ पूजा पर्व के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा खैरा भवानी मंदिर परिसर व घाट का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा, प्रकाश, पार्किंग एवं साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 26.10.2025 को पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र श्री अमित पाठक एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा छठ पूजा पर्व के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत खैरा भवानी मंदिर परिसर एवं घाट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा मंदिर परिसर/घाट में भ्रमण कर प्रकाश एवं साफ-सफाई आदि की समुचित व्यवस्था का जायजा लिया गया । पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा मंदिर परिसर में प्रकाश, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेटिंग, यातायात नियंत्रण तथा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु की गई व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। पार्किंग व्यवस्था के संबंध में महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग श्रेणी (चारपहिया/दोपहिया) हेतु स्पष्ट क्षेत्र निर्धारित किए जाएँ, पार्किंग स्थल पर पर्याप्त प्रकाश, मार्गदर्शन बोर्ड तथा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए ताकि यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि जनपद में छठ पूजा पर्व को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने हेतु व्यापक पुलिस प्रबन्ध किए गए है। पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारीगण द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र में भ्रमण कर निरतंर प्रभावी पेट्रोलिंग की जा रही है। बस स्टाप/स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगायी गयी है। सार्वजनिक जगहों तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है। सार्वजनिक/भीड़-भाड़ वालें स्थानों पर बालिकाओं/महिलाओं के साथ छेड़छाड की सम्भावना के दृष्टिगत सादे वस्त्रों में महिला/पुरूष जवानों के अतिरिक्त मिशन शक्ति/एण्टी रोमियो टीम को भी लगाया गया है। पूजा अर्चना वाले स्थलों (नदियों/तालाब/जलाशयों) पर पर्याप्त प्रकाश/साफ-सफाई/गोताखोरों की व्यवस्था की गयी है। तथा श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत सुदृढ सुरक्षा/पुलिस प्रबन्ध/यातायात/पब्लिक एड्रेस सिस्टम की भी समुचित व्यवस्था की गयी है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनंद कुमार राय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री विवेक त्रिवेदी सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.10.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 01 दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 835/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 01 दहेज हत्याभियुक्त हजरत अली पुत्र बेचू निवासी सिसई कला पो0 बनगवा थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर को मनकापुर बस अड्डा तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.10.2025 को वादी मोहम्मद उस्मान पुत्र अली रज़ा निवासी न्यू इंदिरा नगर आवास कालोनी को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उन्होने अपनी लड़की की शादी 2022 में हज़रत अली शेख, हजरत अली पुत्र बेचू निवासी सिसई कला पो0 बनगवा थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर के साथ किया था । शादी के बाद से ही लड़की के पति हजरतअली व अन्य ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे और दहेज न मिलने पर हजरत द्वारा तलाक की धमकी दी गई , जिससे प्रताड़ित होकर उनकी लड़की ने फांसी लगा ली । प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 26.10.2025 को उ0नि0 मनीष कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर दहेज हत्याभियुक्त - हजरत अली पुत्र बेचू निवासी सिसई कला पो0 बनगवा थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर को मनकापुर बस अड्डा तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हजरत अली पुत्र बेचू निवासी सिसई कला पो0 बनगवा थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-835/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01 उ0नि0 मनीष कुमार चौकी प्रभारी महराजगंज
02. हे कां0 अवधेश यादव
03. कां0 अंगद शर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.10.2025

थाना उमरा बेगमगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना को अनावरित कर आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी किया गया एक अदद टुल्लू पम्प(मोटर) बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 181/2025 धारा 305/331 (4)/317 (4) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त राजेन्द यादव पुत्र राम मिलन यादव निवासी मठन्नन पुरवा मौजा बनुआ थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा को भाटन पुरवा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 04/05.09.2025 की रात को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने बरौली पूरे पवार पुरवा स्थित फर्टीलाइजर की दुकान को ताला तोड़कर दुकान मे रखा इनवर्टर, बैट्री, मोटर चोरी कर ले गये थे । दुकान मालिक राहुल कुमार यादव पुत्र बलराम यादव निवासी उलटहवाँ माझा मौजा पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.10.2025 को आरोपी अभियुक्त राजेन्द यादव पुत्र राम मिलन यादव निवासी मठन्नन पुरवा मौजा बनुआ थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा को भाटन पुरवा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. राजेन्द यादव पुत्र राम मिलन यादव निवासी मठन्नन पुरवा मौजा बनुआ थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 181/2025 धारा 305/331 (4)/317 (4) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. एक अदद टुल्लू पम्प (मोटर)

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 बृजेश यादव
02. हे0का0 आशुतोष यादव
03. हे0का0 प्रदीप यादव
04. का0 सुरेश यादव
05. का० प्रखर सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.10.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टीरोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओ को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही एण्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है-

112- पुलिस आपातकालीन सेवा
1090- वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076- माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108- एंबुलेंस सेवा
1930- साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098- चाइल्ड हेल्पलाइन
102- स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। एण्टीरोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा जनपद के चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की गई तथा शोहदों/मनचलों को रेड कार्ड जारी कर सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी हरकत दोहराने पर उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.10.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के तहत 30 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित व गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कल दिनांक 25.10.2025 को विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लंबित गैर-जमानती वारंटियों एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमों का गठन कर कार्यवाही की गई। इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कुल 30 गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना-वार गिरफ्तारी का विवरण निम्नानुसार है- थाना नवाबगंज पुलिस ने 10, थाना कटराबाजार पुलिस ने 04, थाना खरगूपुर पुलिस ने 04, थाना को0 नगर पुलिस ने 03, थाना तरबगंज पुलिस ने 03, थाना मनकापुर पुलिस ने 02, थाना थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 02, थाना परसपुर पुलिस ने 01 व थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 26.10.2025
जनपद – गोण्डा

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जनपद गोण्डा में "बहू-बेटी सम्मेलन" का हुआ आयोजन, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा थाना धानेपुर व इटियाथोक क्षेत्र में किया गया महिलाओं/बालिकाओं से संवाद, महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन पर दिया गया विशेष जोर-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत आज दिनांक 26.10.2025 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में "बहू-बेटी सम्मेलन" का आयोजन किया गया। इस क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा थाना धानेपुर एवं थाना इटियाथोक क्षेत्र में आयोजित बहू-बेटी सम्मेलनों में प्रतिभाग कर क्षेत्र की महिलाओं, युवतियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा बहुओं एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने महिलाओं को बताया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत महिला हेल्पलाइन 1090, डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। साथ ही थाना स्तर पर मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्थापित महिला सुरक्षा केन्द्र से भी सीधे सहायता प्राप्त की जा सकती है। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा आत्मरक्षा के उपाय, साइबर क्राइम से बचाव, ऑनलाइन ठगी से सतर्कता तथा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा बताया गया कि ऐसे आयोजन समाज में महिलाओं की सुरक्षा भावना को सशक्त करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार, जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में भी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों एवं महिला बीट अधिकारियों द्वारा बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान की जानकारी देकर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संवाद स्थापित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।